न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 09/2017

पदमसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपूत निवासी सेवडा तहसील कोलायत — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मुकाम कोलायत — रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक, अपीलार्थी
2. श्री दामोदर दास व्यास, पैरोकारराज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29–09–2017

यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुख्यालय कोलायत की आज्ञा दिनांक 30.08.2017 के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2017 को प्रस्तुत की गई है। जो दर्ज की गई अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तबल किया गया जो प्राप्त हुआ अप्रार्थी को तलब किया गया जो उपस्थित हुआ।

1. प्रकरण से संबंधित तथ्य जो न्यायालय के समक्ष प्रकट हुए है, वे संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सेवड़ा ने दिनांक 22.07.2017 को तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुख्यालय कोलायत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह अंकित किया की खसरा संख्या 965 जिसका क्षेत्रफल 2258 बीघा 1 बिस्वा है वो ग्राम सेवड़ा तहसील कोलायत में स्थित है, वह सिवाय चक भूमि है, जिस पर अपीलार्थी–गैर सायल पदम सिंह ने कृषि वर्ष 2017–18 तद्नुसार सम्वत् 2074 की खरीफ फसल के दौरान खसरा नम्बर 965 की 115 बीघा पर नाजायज काश्त कर गवार की फसल बोई है, जिस पर गैर सायल अतिक्रमी है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में ली जाकर वार्षिक लगान का 50 गुणा तक शास्ति अधिरोपित की जावे और गैर सायल को सरकारी भूमि से बेदखल कर कब्जा राज लिया जावे। साथ ही गैर सायल आदतन अतिक्रमी है तथा उसने सम्वत् 2072 व 2073 की खरीफ फसल के दौरान भी नाजायज काश्त की थी।
2. इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तहसीलदार ने गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अधीन दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 22.08.2017 के लिए दिनांक 03.08.2017 को नोटिस जारी कर जवाब

प्रस्तुत करने हेतु निदिष्ट किया गया । गैर सायल पर नोटिस की तामिल होना मानते हुए उसके जानबुझकर उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर दिया तथा गैरसायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उस पर 575 रूपये की शास्ति अधिरोपित करने, भूमि विवादित से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए गैर सायल को तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की और अभिकथन किया कि आदेश मातहत अदालत न्याय, नियम, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के व मिसल रिकार्ड के खिलाफ है। यह भी अंकित किया की तहसीलदार ने अपने निर्णय का आधार हल्का पटवारी की रिपोर्ट को बनाया है। अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर किसी जांच व माइंड एप्लाई किये आदेश पारित कर दिया जो कानून के विपरीत होने से अवैध है तथा काबिले निरस्तनीय भी है। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.08.2017 को अपास्त करने का निवेदन किया।

3. बहस योग्य अभिभायक अपीलार्थी व लायक पैरोकाराज सुनी गई दौराने बहस योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि प्रतिकूल बताते हुए जोर देकर कहा कि आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया हुआ होने से कानून की निगाहों में दूषित है तथा अवैध भी हो जाता है और इस कारण काबिले निरस्तनीय है। उन्होने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं एवं अपीलार्थी को जारी दिनांक 22.08.2017 के लिए दिनांक 03.08.2017 के नोटिस की ओर भी दिलाया और कहा कि यह नोटिस ही दिनांक 17.08.2017 को जारी किया जाना पाया जाता है जैसा कि नोटिस पर जारी जावक रजिस्टर की संख्यांक से स्पष्ट है। इस प्रकरण में दिनांक 22.08.2017 की तारीख पेशी निश्चित थी और दिनांक 19.08.2017 व 20.08.2017 को सार्वजनिक अवकाश था। इसके अतिरिक्त दिनांक 22.08.2017 को पेशी के रोज पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य के कारण मुख्यालय से बाहर थे तथा दिनांक 30.08.2017 की तारीख पेशी नीयत की गई और दिनांक 30.07.2017 को आनन फानन पीठासीन अधिकारी ने यह आक्षेपित निर्णय दे दिया ।

4. पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों को भी देखा गया। इस अपील में यह निर्धारित करना है कि आया अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.08.2017 पारित करते समय विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित प्रक्रिया अपनाई जाकर विधि सम्वत निर्णय किये जाने में कोई त्रुटि तो नहीं की है ? हमारी राय में निश्चित गैर सायल पर नोटिस तामील होने/न होने के अधिनस्थ न्यायालय के सबंध में कोई आदेशिका पारित किये बिना सीधे ही अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि गैर सायल बावजूद इतला के अनुपस्थित है और हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास

करते हुए गैर सायल के विरूद्ध यह निर्णय पारित कर दिया। जो विधि सम्वत नहीं माना जा सकता क्योंकि गैर सायल को सम्वत 2073 के दौरान नाजायज काश्त करने एवं न्यायालय पत्रावली संख्या 08/2016 निर्णय दिनांक 13.10.2016 के तथ्य जो अपने निर्णय दिनांक 30.08.2017 में लिखे है उन्हे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है ना ही उस बाबत प्रतिरक्षण का मौका ही गैर सायल अपीलार्थी को दिया जाना पत्रावली से प्रकट होता है और ना ही पटवारी के कथनों को उसके सशपथ बयानों से ही पुष्ट करवाये गये है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर यह तो स्वीकृत स्थित हो जाती है कि तहसीलदार ने गैर सायल को पश्वातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है तथा इस आधार पर गैर सायल को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का दिया गया आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसके बाबत अप्रार्थी/अपीलार्थी को कोई रिबिटल का अवसर प्रदान किया गया हो तो पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। इन परिस्थितयों में हम गैर सायल को 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड को कायम रखना उचित नहीं समझतें जिसे खण्डित किया जाना कानून की मांग हो जाती है तथा इसे खण्डित किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझतें है लेकिन हम तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में गैर सायल के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति व उसे सिवाय चक भूमि से बेदखली का दिया गया आदेश को विधि सम्मत मानते है क्योंकि पुरी अपील मीमो को पढ़ने से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करने के संबंध में एक शब्द भी अंकित किया हो । इससे यह तो भली भांति स्थापित हो जाता है, कि अपीलार्थी गैर सायल प्रार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है जिसे हटाया जाना व उसके विरूद्ध शास्ति कायम करने का दिया गया आदेश सही रूप से तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है लेकिन अप्रार्थी /अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माननें के संबंध में जो प्रकिया तहसीलदार द्वारा अपनाई गई है वो सही प्रतीत नहीं होती है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.08.2017 जिसमे गैर सायल को 3 माह के सिविल कारावास से संबन्धित आदेश की हद तक किया गया आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मुख्यालय कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य लिये जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए इस बिन्दु पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन